

**कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर**  
**कार्यालय-आदेश**

वित्त विभाग राज.जयपुर के आदेश क्रमांक-एफ 6(8) गुप-2/एफ.डी./रूल्स/2010 दिनांक-25.04.12 के अन्तर्गत, एवं मेडिकल बोर्ड राजकीय चिकित्सालय अजमेर की अभिशंषा के आधार पर श्री अखिलेश शर्मा, व्याख्याता रसायन विज्ञान, राउमावि इन्दावड नागौर को उनके आवेदन पत्र प्राप्ति दिनांक 28.04.2015 से मूल वेतन का छः प्रतिशत (6%) की दर से जो रूपये 600/- (अक्षरे रूपये छः सौ मात्र) से अधिक नहीं हो, का विकलांग वाहन भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।


इन्हे आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों का उपभोग करने की अवधि का यथा ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदोन्नति एवं अन्य किसी कारण कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि का तथा लम्बित अवधि का विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।

  
(बी.एल.स्वर्णकार)  
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-माध्य/संस्था/सी-4/रजीगु /विकलांग वाहन भत्ता/2016 दिनांक: 20/12/2016  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संबंधित उपनिदेशक (माध्यमिक).....
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा).....
3. संबंधित संस्था प्रधान ....
4. संबंधित कार्मिक ...
5. सिस्टम एनालिसिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ
6. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

**कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर**  
**कार्यालय-आदेश**

वित्त विभाग राज.जयपुर के आदेश क्रमांक-एफ 6(6) गुप-2/एफ.डी./रूल्स/2010 दिनांक-25.04.12 के अन्तर्गत, एवं मेडिकल बोर्ड राजकीय चिकित्सालय करौली की अभिशंषा के आधार पर श्री मोहन सिंह, व्याख्याता जीव विज्ञान ड्राईट करौली को उनके आवेदन पत्र प्राप्ति दिनांक 15.12.2014 से मूल वेतन का छः प्रतिशत (6%) की दर से जो रुपये 600/- (अक्षरे रुपये छः सौ मात्र) से अधिक नहीं हो, का विकलांग वाहन भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

इन्हे आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों का उपभोग करने की अवधि का यथा ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदोन्नति एवं अन्य किसी कारण कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि का तथा लम्बित अवधि का विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।


  
(बी.एल.स्वर्णकार)  
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-माध्य/संस्था/सी-4/रजीगु /विकलांग वाहन भत्ता/2016 दिनांक: 20/12/2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संबंधित उपनिदेशक (माध्यमिक).....
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा).....
3. संबंधित संस्था प्रधान.....
4. संबंधित कार्मिक .....
5. सिस्टम एनालिसिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ
6. निजी/रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर